

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर  
क्रमांक: ई-18/एम/जो.बीकानेर/एफ.01515/ए.सी.पी./2025/253 दिनांक:- 10/03/2025

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि0 30.10.2017 एवं 9.12.2017 एवं एफ.15(88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.22 एवं 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 06.10.2023 में उपलब्ध प्रावधानानुसार श्री मूल सिंह चारण, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय-रतनगढ, चूरु की पूर्व में स्वीकृत 18 वर्षीय एसीपी दिनांक 23.03.2014 को संशोधित करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.14(88)/एफडी/रूल्स/2008-11 दिनांक 01.06.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्मिक की दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने के कारण कार्मिक को राज्य सेवा में 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

प्र.नि.ति.	पूर्ण सेवा अवधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	वेतन श्रृंखला/पे मेट्रिक्स लेवल
23.03.1996	18 वर्ष	01.06.2017	एल-10
	27 वर्ष	23.03.2023	एल-11

नोट:- 1- कार्मिक की पूर्व में दिनांक 23-03-2014 को स्वीकृत 18 वर्षीय एसीपी को अंतर राशि दिनांक 01.06.2017 की वसूली कर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करावें।

2-उपरोक्त वर्णित आदेशों के अनुरूप कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा ।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0,जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/जो.बीकानेर/एफ.01515/ए.सी.पी./2025/253  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 10/03/2025

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, जिला-चूरु।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अवलोड करें ।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
6. आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक(अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0, जयपुर  
Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :08-03-2025 04:39:39